

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

उर्वरक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	195465.10	1.62	195466.72	168127.20	3.61	168130.81	189320.93	15.36	189336.29	184067.26	15.18	184082.44
वसूलियां	-7137.78	...	-7137.78	-3980.00	...	-3980.00	-6333.00	...	-6333.00	-27580.00	...	-27580.00
प्राप्तियां
निवल	188327.32	1.62	188328.94	164147.20	3.61	164150.81	182987.93	15.36	183003.29	156487.26	15.18	156502.44
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	39.70	1.62	41.32	44.88	3.36	48.24	43.92	3.36	47.28	48.56	2.88	51.44
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. यूरिया सस्मिडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	100831.18	...	100831.18	100340.00	...	100340.00	101307.50	...	101307.50	100839.50	...	100839.50
2.02 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण	2000.00	...	2000.00	10000.00	...	10000.00
2.03 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	-2000.00	...	-2000.00	-10000.00	...	-10000.00
2.04 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	28193.94	...	28193.94	22634.00	...	22634.00	21000.00	...	21000.00	21000.00	...	21000.00
2.05 उर्वरक सस्मिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)	4.63	...	4.63	5.80	0.20	6.00	14.00	12.00	26.00	27.70	12.30	40.00
2.06 वसूली	-5937.71	...	-5937.71	-3980.00	...	-3980.00	-3333.00	...	-3333.00	-2980.00	...	-2980.00
निवल	123092.04	...	123092.04	118999.80	0.20	119000.00	118988.50	12.00	119000.50	118887.20	12.30	118899.50
3. पोषक तत्व आधारित सस्मिडी												
3.01 स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	36270.00	...	36270.00	26500.00	...	26500.00	33810.00	...	33810.00	30000.00	...	30000.00
3.02 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण	1000.00	...	1000.00	3000.00	...	3000.00
3.03 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	-1000.00	...	-1000.00	-3000.00	...	-3000.00
3.04 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	28929.58	...	28929.58	18500.00	...	18500.00	18500.00	...	18500.00	19000.00	...	19000.00
जोड़- पोषक तत्व आधारित सस्मिडी	65199.58	...	65199.58	45000.00	...	45000.00	52310.00	...	52310.00	49000.00	...	49000.00
4. भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संबद्धन स्कीम	2.50	...	2.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
5. जैविक उर्वरक संवर्धन नीति	0.25	...	0.25	100.00	...	100.00	45.00	...	45.00	150.00	...	150.00
6. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
6.01 यूरिया सस्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि में	10000.00	...	10000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अंतरण												
6.02 पोषक तत्व आधारित सन्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि में अंतरण	1600.00	...	1600.00
जोड़- आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण	11600.00	...	11600.00
7. आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि												
7.01 यूरिया सन्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त राशि	-10000.00	...	-10000.00
7.02 पोषक तत्व आधारित सन्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त राशि	-1600.00	...	-1600.00
जोड़	-11600.00	...	-11600.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	188291.87	...	188291.87	164102.30	0.20	164102.50	182944.00	12.00	182956.00	156438.70	12.30	156451.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सहायता	0.01	0.05	0.06
अन्य												
9. अनुसंधान एवं विकास	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. वसूली	-4.25	...	-4.25
जोड़-अन्य	-4.25	...	-4.25	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	-4.25	...	-4.25	0.02	0.05	0.07	0.01	...	0.01
कुल जोड़	188327.32	1.62	188328.94	164147.20	3.61	164150.81	182987.93	15.36	183003.29	156487.26	15.18	156502.44
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	65195.36	...	65195.36	45000.00	...	45000.00	53910.00	...	53910.00	47400.00	...	47400.00
2. उद्योग	123092.29	...	123092.29	119102.31	...	119102.31	129034.01	...	129034.01	109038.70	...	109038.70
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	39.67	...	39.67	44.88	...	44.88	43.92	...	43.92	48.56	...	48.56
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	...	0.01
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.62	1.62	...	3.56	3.56	...	15.36	15.36	...	15.18	15.18
6. उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	0.05	0.05
जोड़-आर्थिक सेवाएं	188327.32	1.62	188328.94	164147.20	3.61	164150.81	182987.93	15.36	183003.29	156487.26	15.18	156502.44
कुल जोड़	188327.32	1.62	188328.94	164147.20	3.61	164150.81	182987.93	15.36	183003.29	156487.26	15.18	156502.44

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

	बजट			बजट			बजट			(₹ करोड़)		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	4.14	4.14	15.00	15.00	...	35.00	35.00
2. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	501.71	501.71	...	480.97	480.97	...	946.07	946.07	...	1576.97	1576.97
3. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	23.85	23.85	...	26.07	26.07	...	-83.02	-83.02	...	-66.23	-66.23
4. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	292.13	292.13	...	672.17	672.17	...	596.50	596.50	...	1266.13	1266.13
5. एफएसीटी	...	173.76	173.76	...	303.25	303.25	...	300.25	300.25	...	102.75	102.75
6. एफएजीएमआईएल	...	0.99	0.99	...	112.00	112.00	...	5.25	5.25	...	25.67	25.67
7. एमएफएल	...	48.53	48.53	...	133.10	133.10	...	54.51	54.51	...	45.94	45.94
8. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	...	1.57	1.57	6.19	6.19	...	7.79	7.79
जोड़	...	1046.68	1046.68	...	1727.56	1727.56	...	1840.75	1840.75	...	2994.02	2994.02

ब.अ. 2025-26 के तहत उर्वरक विभाग के लिए निवल आवंटन 156502.44 करोड़ रुपये है अर्थात ओआईडीएफ से निवल 11600.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की पूर्ति हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग के अधिकार में व्यय करने के लिए उपलब्ध कुल निधि 168102.44 करोड़ रुपये होगी।

1. **सचिवालय:** विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान।

2.01. **देशी यूरिया के लिए भुगतान:** यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन हेतु दुलाई सन्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सन्सिडी के लिए है। यह सन्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सन्सिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सन्सिडी की राशि रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

2.02. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण:** यह प्रावधान यूरिया सन्सिडी योजना के स्वदेशी यूरिया घटक के भुगतान के तहत ओआईडीएफ को अंतरित करने के लिए है।

2.03. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि:** स्वदेशी यूरिया के भुगतान के उद्देश्य से ओआईडीएफ से प्राप्त राशि।

2.04. **यूरिया के आयात के लिए भुगतान:** चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। शामिल लागत में मौटे तौर पर आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान होता है। उर्वरकों की किसानों को की गई विक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर सन्सिडी को दर्शाता है।

2.05. **उर्वरक सन्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** यह प्रावधान ऑनलाइन विलों पर सन्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए है।

3.01. **स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** यह प्रावधान किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषकत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से बेहतर मुदा गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

3.02. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण:** यह प्रावधान स्वदेशी पीएंडके उर्वरकों के भुगतान के तहत ओआईडीएफ में अंतरण के लिए है।

3.03. **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि:** स्वदेशी पी एंड के उर्वरकों के भुगतान के उद्देश्य से ओआईडीएफ से पूरी की गई राशि।

3.04. **आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:** यह प्रावधान किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर पोषकत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से बेहतर मृदा गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए उर्वरक एनपीके पोषकत्वों का संतुलित उपयोग हो सकेगा।

4. **भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संवर्द्धन स्कीम:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 14 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आमंत्रित वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सन्सिडी के रूप में पांच वर्षों की अवधि में 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है।

5. **जैविक फर्टीलाइजर संवर्द्धन नीति:** बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने और गोबरधन पहल के रूप में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की एक नई योजना शुरू की गई है।

6. **आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण:** यह प्रावधान ओआईडीएफ को अतिरिक्त निधि अंतरण के लिए है।

7. **आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि:** सार्वजनिक खाते/ओआईडीएफ में उपलब्ध शेष राशि से अतिरिक्त निधि की पूर्ति की जाएगी।